

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 नियम 6-7, जाब्ता दीवानी)

**न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा**

पीठासीन अधिकारी :- अमिता बिश्नोई आर.ए.एस.

वाद पत्र संख्या :- 119/2024

1. सुभाषचन्द्र पुत्र श्री भागीरथ जाति जाट साकिन सूरावाली तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ राजस्थान।

— वादी

—बनाम—

1. आत्माराम पुत्र श्री भागीरथ जाति जाट साकिन सूरावाली तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ राजस्थान ।
2. वेद प्रकाश पुत्र श्री भागीरथ जाति जाट साकिन सूरावाली तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ राजस्थान ।
3. हरचंद पुत्र श्री भागीरथ जाति जाट साकिन सूरावाली तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ राजस्थान ।
4. हरीराम पुत्र श्री भागीरथ जाति जाट साकिन सूरावाली तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ राजस्थान ।
5. केशर देवी पुत्री श्री भागीरथ पत्नी श्योपतराम जाति जाट साकिन मांझूवास तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर हनुमानगढ राजस्थान ।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पीलीबंगा जिला हनुमानगढ

—प्रतिवादीगण

**दावा अन्तर्गत धारा 88, 53 आर.टी.ए. बाबत घोषणा एवं खाता विभाजन**

दिनांक:- 23/09/24

वादी की ओर से श्री हनुमान भादू अधिवक्ता, प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 की ओर से श्री सुनील सहू अधिवक्ता इस वाद मे आज दिनांक को अमिता बिश्नोई आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश किया जाकर डिक्री की जाती है कि, उभय पक्ष के मध्य हुए राजीनामा के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88, 53 के अन्तर्गत वाद मे निम्नानुसार खाता विभाजन व खातेदारी घोषणा की जाती है:-

क्रम संख्या	नाम वादी/प्रतिवादी	रकबा
1	सुभाषचन्द्र पुत्र श्री भागीरथ जाति जाट साकिन सूरावाली तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ राजस्थान।	चक 41 एल.एल.डब्ल्यू के खाता सं. 142/83 के प.नं. 15/245 (74) के किला न. 11, 12, 16/1, 16/2, 17 ता 22, 23/1 की कुल 2.403 हैक् नहरी मय गै.मु. रास्ता मे प्रतिवादी सं. 1 ता 5 व वादी व प्रतिवादी सं. 1 ता 5 की माता रेशमी उर्फ शांति देवी के नाम उक्त खाता से कलमजन किया जाता है
2	आत्माराम पुत्र श्री भागीरथ जाति जाट साकिन सूरावाली तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ राजस्थान ।	चक 41 एल.एल.डब्ल्यू के खाता सं. 198/37 के प.नं. 13/240 (62) के किला न. 1/1, 1/2, 2 ता 9, 10/1, 10/2, 11/1, 11/2, 12 ता 19, 20/1, 20/2, 21/1, 21/2, 22 ता 25 की 6.325 हैक् नहरी मय गै.मु. रास्ता व प.नं.13/241 (65) के किला न. 1/1, 1/2, 2 ता 9, 10/1, 10/2, 11/1, 11/2, 12 ता 19, 20/1, 20/2, 21/1, 21/2, 22 ता 25 की 5.060 हैक् नहरी इस प्रकार कुल 11.385 हैक् नहरी मय गै.मु. रास्ता मे 1/9 हिस्सा खातेदारी घोषणा की जाती है

सहायक कलक्टर एव  
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

3	वेद प्रकाश पुत्र श्री भागीस्थ जाति जाट साकिन सूरवाली तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ राजस्थान	वेदप्रकाश को वाके तहसील पीलीबंगा के चक नं. 1 बी. एल.डब्ल्यू. के खाता सं. 84/52 के प.न. 16/240 (14) के किला नं. 1, 10, 11/2, 12, 13, 18, 19, 22 की 1. 9100 हैक्. नहरी मे वादी व प्रतिवादी सं. 1.3 ता 5 का नाम कलमजन किया जाकर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।
4	हरचंद पुत्र श्री भागीस्थ जाति जाट साकिन सूरवाली तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ राजस्थान ।	चक नं. 1 बी. एल.डब्ल्यू. के खाता सं. 93/82 के प.न. 18/248 (56) के किला नं. 5, 6, 15, 16, 25 की 1. 265 हैक्, नहरी खातेदार काश्ताकर घोषित किया जाता है। रेशमी उर्फ शांति देवी का नाम कलमजन किया जाता है
5	हरीराम पुत्र श्री भागीस्थ जाति जाट साकिन सूरवाली तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ राजस्थान ।	चक नं. 1 बी. एल.डब्ल्यू. के खाता सं. 93/82 के प.न. 18/248 (56) के किला नं. 4, 7, 14, 17, 18, 23, 24 की 1.771 हैक्. नहरी व वादी व प्रतिवादी सं. 1 ता 5 व वादी व प्रतिवादी सं. 1 ता 5 की माता रेशमी उर्फ शांति देवी के नाम से तहसील पीलीबंगा के चक 1 बी.एल. डब्ल्यू. खाता सं. 84/52 के पं.न. 16/240 (35) के किला न. 23/2, 24, 25 की 0.633 हैक् नहरी इस प्रकार दोनो पत्थरो की कुल 2.404 हैक् नहरी ओर खाता सं. 84/52 के पं.न. 16/240 (35) के किला न. 23/2, 24, 25 की 0.633 हैक् नहरी मे से वादी व प्रतिवादी सं. 1 ता 3 व 5 का नाम कलमजन किया जाकर खातेदार काश्ताकर घोषित किया जाता है।

तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि घग्घर, वन विभाग, जोहड पायतन, आराजीराज न होने तथा अन्य किसी भी न्यायालय का कोई स्थगन आदि न होने, धारा 16 आर.टी.ए. की अवहेलना नहीं होने की व समस्त प्रकार के भार मुक्त होने तथा किसी प्रकार के राजस्व हानि न होने की दशा मे स्थिति में उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड मे अंकन किया जाकर अलग अलग लगान कायम किया जावे तथा भूमि की किस्म यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन/गैर खातेदार पूर्वानुसार ही रहेगी जिमसे किसी प्रकार का कोई बदलाव नही किया जावेगा।

खर्चा फरीकेन अपना-अपना वहन करेंगे। यह डिक्री आज दिनांक 23/09/2024 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(अमिता बिश्नोई आर.ए.एस.)  
 उपखण्ड अधिकारी काश्तकार एवं  
 पदेन सहायक, कलमजरी पीलीबंगा  
 न्यायालय पीलीबंगा